

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**  
**Insurance Regulatory and Development Authority of India**

प्रेस प्रकाशनी / Press release

14.06.2022

**बीमा कंपनियों के लिए घटाया गया अनुपालन का भार**  
**Reduced compliance burden for insurance companies**

आईआरडीएआई ने, भारत में बीमा कंपनियों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन करने की दिशा में अपने निरंतर प्रयास में, बीमा कंपनियों के द्वारा फाइल की जानेवाली विनियामक विवरणियों की समीक्षा की है और उन्हें युक्तिसंगत बनाया है।

दिनांक 10.06.2022 के अपने नवीनतम परिपत्र में आईआरडीएआई ने जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही ऑफ़-लाइन विवरणियों की संख्या 40 से घटाकर केवल 4 कर दी है जबकि आनलाइन विवरणियों की संख्या 8 से घटकर 5 हो जाएगी। तीन अलग-अलग प्रमाणीकरण अपेक्षाएँ भी समेकित रूप में एक कर दी गई हैं।

यह साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः दिनांक 12.05.2022 और 23.05.2022 के परिपत्रों के द्वारा इसी प्रकार की छूटें लागू करने के बाद उठाया गया कदम है। आईआरडीएआई ने परिपत्र दिनांक 11.05.2022 के अनुसार बीमांकन मूल्यांकन अथवा पुनर्बीमा से संबंधित किन्हीं भी रिपोर्टों, विवरणियों अथवा अन्य दस्तावेजों की हार्ड प्रतियों का प्रस्तुतीकरण समाप्त कर दिया है।

यह प्रत्याशित है कि अनुपालन के घटाये गये भार से बीमाकर्ता कवरेज और व्यापन में सुधार लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रत्येक भारतीय तक पहुँचने में अपने प्रयास और समय को बेहतर ढंग से केन्द्रित कर सकेंगे।

IRDAI, in its continuous endeavor towards promoting ease of doing business for insurance companies in India, has reviewed and rationalized the regulatory returns to be filed by the Insurance Companies.

In its latest circular dated 10.06.2022, IRDAI has reduced the number of off-line returns being submitted by Life Insurers from 40 to only 4 whereas the number of online returns would come down from 8 to 5. Three separate certification requirements have also been consolidated into one.

This comes after the similar relaxations extended to General insurers and Health insurers vide circulars dated 12.05.2022 and 23.05.2022 respectively. IRDAI has also discontinued submission of hard copies of any reports, returns or other documents related to actuarial valuation or reinsurance vide circular dated 11.05.2022.

It is expected that reduced compliance burden will enable insurers to better focus their efforts and time in reaching out to every Indian with the ultimate goal of improving coverage and penetration.

\*\*\*\*\*